



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272028
CG-DL-E-23042026-272028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1998]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1998]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2026

का.आ. 2071(अ).— कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 5 के उपखंड (1) के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के उपखंड (2) में निर्दिष्ट समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, अधिसूचित करती है कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस (बीटी.) कपास बीजों के एक पैकेट (475 ग्राम रिफ्यूजिआ-इन-बैग बीज जिसमें न्यूनतम 5 प्रतिशत और अधिकतम 10 प्रतिशत गैर- बीटी. कपास शामिल है) का अधिकतम विक्रय मूल्य, संपूर्ण भारत हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए भारत के राजपत्र असाधारण, भाग -2 , खंड -3 , उपखंड -(ii) में संख्यांक का.आ.1472 (अ) , तारीख 27 मार्च, 2025 द्वारा, प्रकाशित भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा ।

[फा. सं. 6-2/2025-एसटीयू-1]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2026

S.O. 2071(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 55) read with sub-clause (1) of clause 5 of the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015, the Central Government, after taking into consideration the recommendations made by the Committee referred to in sub-clause (2) of the said clause, hereby notifies that the maximum sale price of *Bacillus thuringiensis* (Bt.) cotton seeds for a packet (475 grams Refugia-in-Bag seeds containing minimum 5 per cent. and maximum 10 per cent. non Bt. Cotton) shall be as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare vide number S.O. 1472(E), dated the 27th March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) for the financial year 2026-2027 for the whole of India.

[F. No. 6-2/2025-STU-I]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.